राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2456/2024

कमलेश कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खिदरपुरा, ब्लॉक परबतसर, जिला नागौर (वर्तमान जिला कुचामन सिटी)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.07.2024
आदेश की दिनांक : 01.08.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप कलवानियां, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की पदोन्नति उपरांत पदस्थापन आदेश दिनांक 24.07.2024 (अनुलग्नक–1) जारी कर अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खिदरपुरा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आसोप, कोटड़ी, भीलवाड़ा किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को उसी जिले में पदस्थापित रखा गया है, जहां वो पहले से ही पदस्थापित हैं, परंतु अपीलार्थी को दूसरे जिले में पदस्थापित किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के दूसरे जिले में पदस्थापन से उसे विभिन्न पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन स्थान के नजदीक स्थित विद्यालयों में भी रिक्त पद हैं, जहां पर अपीलार्थी को पदस्थापित किया जा

सकता है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.07.2024 को अपनी उक्त आपत्तियों के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभी तक कोई विचार नहीं किया गया हैं। अपीलार्थी को 3 अगस्त, 2024 तक के लिए कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त अवधि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर उक्त पदोन्नति का स्वेच्छा से परित्याग माना जायेगा।

3. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को अभी तक निर्णित नहीं किया गया हैं, उसके पूर्व ही अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर दी गई है।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए न्यायहित में सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.07.2024 (अनुलग्नक–8) को प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 1 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)